



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941

No. 23] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र और परिशिष्ट

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

सं. डीजीटी-ए-11018/1/2018-प्रशा. II.—8 जनवरी, 2019 को भारत के राजपत्र (सं.02) के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशित मंत्रालय के संकल्प में आंशिक संशोधन में भारत के राजपत्र (सं.07) के भाग-1 खंड 2 में प्रकाशित शुद्धिपत्र दिनांक 28 मार्च, 2019 के साथ पठित अनुबंध-1 के क्रम सं. 5, 8, 20 तथा 22 के तहत प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जाए:-

क्र.सं.	आरडीएसडीई का नाम	मुख्यालय	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम)	आरडीएसडीई के तहत केंद्रीय फील्ड संस्थानों (सीएफआइज) के नाम
5	आरडीएसडीई	चंडीगढ़	हरियाणा (फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों को छोड़कर) संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) चंडीगढ़	एनएसटीआई (डब्ल्यू) पानीपत
8	आरडीएसडीई जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र* लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र*	एनएसटीआई (डब्ल्यू) जम्मू

*गृह मंत्रालय (जम्मू और कश्मीर कार्यविभाग) द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 9 अगस्त, 2019 को जारी अधिसूचना सं. एसओ. 2889 (ई) दिनांक 9 अगस्त 2019 के द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 को अस्तित्व में आए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (वर्ष 2019 का अधिनियम 34) के तहत यथा अधिसूचित

20	आरडीएसडीई उत्तर प्रदेश	कानपुर	उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर जिलों को छोड़कर)	एनएसटीआई कानपुर एनएसटीआई (डब्ल्यू) इलाहाबाद
22	आरडीएसडीई (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	फरीदाबाद	दिल्ली हरियाणा (केवल फरीदाबाद तथा गुरुग्राम जिले) उत्तर प्रदेश (केवल गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर जिले)	एनएसटीआई (डब्ल्यू) नोएडा

परिशिष्ट:

अनुबंध-II (आरडीएसडीई के व्यापक कार्य तथा गतिविधियों) के तहत प्रविष्टि **X** के उपरान्त निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

XI. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): जनशिक्षण संस्थानों के भौतिक निरीक्षणों को शामिल करते हुए राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के कार्य के लिए नामित व्यक्ति के रूप में कार्य करना।

XII. राज्य/जिला स्तर पर जहाँ आवश्यक हो, यह ध्यान दिए बिना कि निधियन का स्रोत क्या है, कौशल तथा उद्यमशीलता संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों की जांच-परख/अनुशंसा/निरीक्षणों हेतु एमएसडीई के नामित व्यक्ति के रूप में कार्य करना।

दीपांकर मल्लिक, उप महानिदेशक

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training)

CORRIGENDUM AND ADDENDUM

New Delhi, the 18th November, 2019

No. DGT-A-11018/1/2018-Adm.II.—In the partial modification to this Ministry's Resolution published in Part-I Section-2 of the Gazette of India [No.02] on 8th January 2019 read with Corrigendum published in Part-I Section-2 of the Gazette of India [No.07] on 28th March 2019, entries under Sl.No. 5, 8, 20 and 22 of Annexure-I may be read as under:-

Sl. No.	Name of RDSDE	Headquarters	Territorial Jurisdiction (Names of States / UTs)	Names of Central Field Institutes (CFIs) under RDSDE
6	RDSDE Haryana	Chandigarh	Haryana (excluding Faridabad and Gurugram Districts) Union Territory (UT) of Chandigarh	NSTI (W) Panipat
8	RDSDE Jammu & Kashmir	Jammu	Union Territory of Jammu and Kashmir * Union Territory of Ladakh *	NSTI (W) Jammu

* As notified under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (Act 34 of 2019) which came into being w.e.f. 31st October 2019 vide Notification No. S.O. 2889(E) dated 9th August 2019 published in the Gazette of India dated 9th August 2019 by the Ministry of Home Affairs (Department of Jammu and Kashmir Affairs).

20	RDSDE Uttar Pradesh	Kanpur	Uttar Pradesh [excluding Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar districts)	NSTI Kanpur NSTI (W) Allahabad
22	RDSDE (National Capital Region)	Faridabad	Delhi Haryana [Faridabad and Gurugram Districts only] Uttar Pradesh [Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar Districts only]	NSTI (W) Noida.

ADDENDUM:-

Following shall be inserted after entry **X** under **Annexure-II** (Broad Function and Activities of RDSDEs) :-

XI: Jan Shkshan Sansthan (JSS) – To act and function as the nominee of the Ministry of Skill of Development and Entrepreneurship (MSDE) at State Level Screening Committee including their physical inspections of JSSs.

XII. To act as Nominee of MSDE for Skill and Entrepreneurship related Schemes / Programme being screened / recommended / inspected at State / District level wherever required irrespective of the source of funding.

DEEPANKAR MALLICK, Dy. Director General